Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 24-08-2006

Participants : Mahabir Prasad Shri

an>

Title : The Minister of Small Scale Industries and Agro & Rural Industries made a statement regarding status of implementation of recommendations in 157th , 166th ,170th, 172nd and 174th Reports of Standing Committee on Industry pertaining to the Ministry of Agro and Rural Industries.

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : मैं माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निर्देश पर लोक सभा बुलेटिन-भाग-।।, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 विहित लोक सभा में कार्यविधि और कारबार संचालन नियम के उपबंधों के अनुसरण में उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की 152वीं, 166वीं, 170वीं, 172वीं और 174वीं रिपोर्ट में विहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

2. कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की "पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कयर उद्योगों की क्षमता और सुधार पर समिति की 141वीं रिपोर्ट में विहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाई" पर 157वीं रिपोर्ट में 22 सिफारिशें/अवलोकन हैं। ये सिफारिशें/अवलोकन मोटे तौर पर पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कयर उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/अवलोकनों के संबंध में आवश्यक कार्यवाई की है। प्रत्येक सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा विहित करते हुए की गयी कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 को प्र स्तुत की गयी है।

3. अनुदानों की मांगे (2004-05) पर समिति की 152वीं रिपोर्ट में विहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कारवाई पर 166वीं रिपोर्ट में 12 सिफारिशें/अवलोकन विहित हैं। ये सिफारिशें/अवलोकन मोटे तौर पर कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए कार्यनीति बनाने, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मौजूदा श्रम कानूनों में सुधार, भंडार मालसूची कम करने और राज्य सरकारों द्वारा रिबेट के बकाए के भुगतान के लिए प्रभावी उपाय करने, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे अपारम्परिक राज्यों में निकटतम उपलब्ध

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4875/06

स्थान से कयर फाइबर का स्रोत खोजकर कयर इकाइयां स्थापित करने की कार्यनीति का कार्यान्वयन करने, स्फूर्ति स्कीम के कार्यान्वयन, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र पर वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में क्लस्टरों के विकास से संबंधित है। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/अवलोकनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्यवाई का ब्यौरा देते हुए की गयी कार्यवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 8 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत की गयी है।

4. कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की 170वीं रिपोर्ट में 59 सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें/अवलोकन मोटे तौर पर ऋण की सामयिक और पर्याप्त सुपुर्दगी, प्रौद्योगिकी उन्नयन, वित्तीय सहायता के रूप में विपणन समर्थन सुनिश्चित करते हुए कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाने और सुदृढ़ करने, आरईजीपी और पीएमआरवाई के अधीन रोजगार सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, खादी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने, कयर उद्योगों के लिए सहकारिताकरण स्कीम के सुदृढ़ीकरण, ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन को बढ़ाने, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को कर छूट के रूप में राजकोीय रियायत तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए राट्रीय नीति तैयार करने से संबंधित हैं। प्रत्येक सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए की गयी कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रस्तुत की गयी है।

5. कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की "कयर उद्योगों के संवर्धन और प्रचुरोद्भवन के लिए आवश्यकता" पर 172वीं रिपोर्ट में कयर क्षेत्र के संबंध में 36 सिफारिशें/अवलोकन विहित हैं। ये सिफारिशें/अवलोकन मोटे तौर पर पारम्परिक और अपारम्परिक अंचलों में कयर उद्योग के संवर्धन और प्रमुरोद्भवन के लिए आवश्यकताओं और कयर क्षेत्र में बाजार विकास से संबंधित हैं। मेरे मंत्रालय ने इन सिफारिशों/अवलोकनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई दर्शाते हुए की गयी कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 9 मार्च, 2006 को प्रस्तुत की गयी है।

6. कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के अधीन स्कीमों के अनुवीक्षण और सामायिक तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वयन पर 174वीं रिपोर्ट में 17 सिफारिशें हैं। ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराट्र राज्यों में वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग और राट्रीयकृत बैंकों के सहयोग से पीएमआरवाई के बेहतर कार्यकरण के लिए मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने, इन राज्यों में ग्रामोउद्योगों के सुधार के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने से संबंधित है। प्रत्येक सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए की गयी कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को दिनांक 6 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत की गयी है।

7. समिति द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा इस वक्तव्य के अनुबंध-I से V में दिया गया है, जिसे सदन के सभापटल पर रखा गया है। मैं इन अनुबंधों की वियवस्तु पढ़ने के लिए सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इन्हें पठित माना जाए।